ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Rashtradoot Metro

My Great-Grand-father's Armchair

So, I decided to be a good boy and use my Great Grand Father's Arm Chair. It is the only family heirloom I had been able to scrounge

Books Over Rest

History in Minutes The Major Ralengnao Bob Khathing Who Saved Tawang from China

पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध शुरू हुआ

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 फरवरी। अफगानिस्तान फिर अपने पुराने स्वाभाविक हालात में लौट आया है, यानी युद्ध की स्थिति में। दो दशकों तक चली लड़ाई में शक्तिशाली नाटो और अमेरिका को हराने के बाद अब यह देश अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ संघर्ष में है।

कम से कम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक रूप से तो यही लिखा है। पाकिस्तान ने पड़ोसी अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों पर हमला किया है। उसे शक है कि कुछ खतरनाक आतंकवादी अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्रों में छिपे हैं और वहीं से पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमलों की योजना बना रहे हैं।

जानलेवा घातक हमलों के नए दौर में, दोनों देशों ने बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने का दावा किया है। दोनों ने एक-दूसरे की सेना और सैन्य ठिकानों पर हमले की भी बात कही है। इन दोनों पड़ोसियों के बीच की यह मारकाट पिछले साल हुई आपसी हत्याओं की कड़वी यादें भी ताजा कर देती है।

हाल ही में पाकिस्तान के अंदर कई हिंसक आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें कुछ मस्जिदों पर हमले भी शामिल हैं। इन हमलों में कई लोगों की जान गई है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, जो देश के भीतर तबाही मचा रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इन आतंकी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान में सक्रिय तालिबान गुट हैं, जिन्हें अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान का समर्थन प्राप्त है।

दोनों पड़ोसियों के बीच यह खुली जंग साफ तौर पर बराबरी की नहीं है और अफगान तालिबान के हक में नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाक की सेना बड़ी व भारी है, पर अफगानी योद्धाओं का भी जवाब नहीं

- युद्ध का कारण है, पाकिस्तान का यह मानना कि अफगान सीमा के आस-पास दुर्दन्त आतंकवादी छुपे हैं, जो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी हमले करते हैं।
- अफगानिस्तान सेना संख्या बल व आधुनिकतम हथियारों की बहुतायत की दृष्टि से कमज़ोर लगती है। पर, अपनी भौगोलिक बनावट व योद्धाओं की गुरिल्ला तकनीकों के कारण, अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर व सुसज्जित रूस व नाटो सेना, जिसमें अमेरिका भी तन-मन-धन से शामिल था, की दाल नहीं गलने दी अपनी भूमि पर।
- अफगानी योद्धाओं को सीमांत क्षेत्र में वहाँ के ट्राइबल्स की ओर से समर्थन व सुरक्षा मिलती है। इन क्षेत्रों में पाकिस्तान की सेना को "एंट्री" भी नहीं मिल पाती। जबकि, अफगानिस्तान के तालिबान योद्धाओं की पाकिस्तान में काफी गहरी पहुँच व पकड़ है। जिससे अफगानी तालिबानी योद्धा पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को अंगूठा दिखाते हुए, खुले रूप से विचरण करते हैं और मनचाहे जब-तब तोड़फोड़ व आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देते हैं।
- इन अशांत स्थितियों के कारण ही, पाकिस्तान के नए मित्र अमेरिका ने अपने नागरिकों को हाल ही में ट्रेवल एडवाइज़री जारी की है कि पाकिस्तान की यात्रा न करें और अगर किन्हीं कारण से अभी भी पाकिस्तान में हैं, तो तुरंत वहाँ से बाहर आएं।

प्रधानमंत्री की अजमेर में जनसभा आज

अजमेर, 27 फरवरी (कासं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान द्वारा किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सेना के हैलीकॉप्टर से सीधे सभा स्थल जाएंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने एयरपोर्ट और सभा स्थल की सुरक्षा की कमान संभाल ली है। एयरपोर्ट पर केवल पासधारकों को प्रवेश दिया जाएगा तथा सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है।

सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए व्यापक ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है।

- सुरक्षा व यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 8 घंटे का हाईवे ट्रैफिक प्लान बनाया

शनिवार सुबह 6 बजे से अजमेर-किशनगढ़ नेशनल हाईवे सहित कई मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हाईवे लगभग 8 घंटे तक बंद रहेगा। लंबी दूरी के वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। ब्यावर से जयपुर जाने वाले वाहन मांगलियावास तिराहे से नसीराबाद रोड होते हुए भेजे जाएंगे। भीलवाड़ा से आने वाले वाहन नसीराबाद बाईपास से डायवर्ट होंगे। जयपुर से ब्यावर जाने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल व सिसोदिया "एक्साइज़ पॉलिसी केस" में पूर्णतया बरी

ट्रायल कोर्ट ने पुरजोर शब्दों में निर्णय सुनाया कि प्रथमा दृष्टया कोई प्रमाण नज़र नहीं आया, इन दोनों के खिलाफ "क्रिमिनल केस' चलाने का

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 फरवरी। एक बड़े कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को आबकारी नीति मामले में आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि क्रिमिनल चार्ज आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत नहीं हैं। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश से इस चरण पर मुकदमे की कार्यवाही प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है, हालांकि केन्द्रीय एजेंसियों ने संकेत दिया है कि वे इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं।

अदालत से बाहर निकलते हुए केजरीवाल भावुक नजर आए और उन्होंने इस फैसले को सच्चाई की जीत बताया। उन्होंने कहा, "हमें हमेशा न्याय व्यवस्था पर विश्वास था... सच्चाई की जीत हुई है... आज सच्चाई जीत गई।" समर्थकों को संबोधित करते समय उनकी आवाज भर आई। इस मामले को "पूरी तरह झूठा मामला" बताते हुए उन्होंने कहा, "मैंने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है।" उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला आम आदमी पार्टी को खत्म करने की राजनीतिक साजिश का हिस्सा था। उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ झूठे केस बनाए गए, यह कहते हुए कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं। लेकिन अदालत ने साबित कर दिया कि केजरीवाल, सिसोदिया और आप कट्टर ईमानदार हैं।" उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनकी पार्टी को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि "जब कोई ठोस सबूत नहीं था, तो एक मौजूदा मुख्यमंत्री को घर से घसीटकर जेल क्यों भेजा गया?"

सिसोदिया ने भी फैसले के तुरंत बाद जारी संदेश में यही भावना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, "सत्य की ही विजय होती है। आज एक बार फिर मुझे बाबा साहेब अंबेडकर जी की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए संविधान पर गर्व महसूस हो रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि "मोदी जी की पूरी पार्टी और उनकी सभी एजेंसियों ने हमें बेईमान साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सीबीआई इस ट्रायल कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देगी। भाजपा ने कहा कि हाई कोर्ट में "टैस्ट" हो जाएगा ट्रायल कोर्ट के तर्कों का।
- निर्णय के बाद, केजरीवाल ने भावुक व रूंधे हुए शब्दों में कहा, "मैने जीवन में केवल ईमानदारी ही कमाई है। न्यायालय ने इसे स्वीकार किया है।"

पाँच राज्यों के आगामी चुनाव में भाजपा "आर्टिफिशल इंटैलिजैंस" आधारित चुनाव प्रचार चलाएगी

हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक "स्पैसिफिक" (विशेष) चार्जशीट जैनरेट की जाएगी ए.आई. की मदद से

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 फरवरी। डिजिटल चुनाव प्रचार को नया रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पाँच राज्यों, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी, में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक उन्नत और बहु-स्तरीय सोशल मीडिया रणनीति को अंतिम रूप दिया है।

इस योजना का केन्द्र बिन्दु आर्टिफिशल इंटैलिजैंस (ए.आई.) का नैतिक उपयोग और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए "चार्जशीट" तैयार करना है।

पार्टी ने उक्त राज्यों में मौजूदा सरकार के आधार पर अपनी रणनीति तय की है।

विपक्ष शासित पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में रणनीति पूरी तरह आक्रामक है। इसका मुख्य उद्देश्य टीएमसी, डीएमके और एलडीएफ सरकारों की कथित "विफलताओं" को उजागर करना है।

एनडीए शासित असम और पुडुचेरी में अभियान रक्षात्मक और उपलब्धियों पर आधारित होगा। इसमें हिमंत बिस्वा सरमा और एनडीए सरकारों की उपलब्धियों को प्रमुखता से दिखाया जाएगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल के हर चुनाव क्षेत्र के लिए अलग-अलग इंस्टाग्राम, रील्स, यू-ट्यूब तथा ए.आई. जैनरेटेड स्टोरीज़, जिसमें टीएमसी, डीएमके व एलडीएफ सरकारों की असफलताओं पर आक्रमण होगा।
- पर, आसाम व पुडुचेरी, जहाँ भाजपा व एनडीए की सरकार है, को बधाई देते हुए उनकी प्रशासनिक सफलताएँ गिनाईं जाएंगी, अलग-अलग चुनाव क्षेत्र की अलग-अलग ए.आई. जैनरेटेड सामग्री विकसित करके।

पति की हत्या की आरोपी पत्नी को अदालत ने बरी किया

जयपुर, 27 फरवरी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5, महानगर द्वितीय ने साथी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोप से पत्नी मंजू राठौड़ और पंकज शर्मा को दोषमुक्त कर दिया है। पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है कि आरोपियों ने शक्ति सिंह की हत्या की है। ऐसे में आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है।

- अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि पत्नी ने अपने साथी के साथ मिलकर पति की हत्या की।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 9 नवंबर, 2021 को करधनी थाने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की आपत्ति अस्वीकार की

तृणमूल कांग्रेस की आपत्ति थी कि ज्युडिशियल ऑफिसर्स को चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया की ट्रेनिंग देना गलत है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस द्वारा उठाई गई उस आपत्ति पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन-एसआईआर) प्रक्रिया के तहत दावों की जांच के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग का प्रशिक्षण मॉड्यूल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता और न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा किया ही जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय और गोपाल शंकर नारायणन ने शुक्रवार सुबह मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का मौखिक उल्लेख किया। सिब्बल ने कहा, "कुछ अजीब हुआ है। अदालत के आदेश के बाद, आपके संज्ञान में लाए बिना, निर्वाचन आयोग ने न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्देश और प्रक्रिया तय की है।" उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने न्यायिक अधिकारियों को एक प्रशिक्षण मॉड्यूल दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि कौन-कौन से दस्तावेज स्वीकार किए जाएं।

मामले की सुनवाई में अनिच्छा जताते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, "आप हमारे न्यायिक अधिकारियों पर संदेह मत कीजिए, अंततः फैसला वही करेंगे।"

सिब्बल ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को तौर-तरीके तय करने हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तौर-तरीकों का मतलब लॉजिस्टिकल अरेंजमैंट से है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "छोटी-छोटी बातों के बहाने प्रक्रिया को मत रोकिए। हम इस तरह सुनवाई नहीं कर सकते। इसका अंत होना चाहिए। हमने आपकी सोच से परे एक आदेश दिया है।" उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन-कौन से दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग इन्हें निरस्त नहीं कर सकता।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "निर्वाचन आयोग के अलावा और कौन प्रशिक्षण देगा? हमने स्पष्ट कर दिया है कि किन दस्तावेजों को देखना है। हमारे निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती।" सिब्बल ने कहा कि प्रशिक्षण मॉड्यूल में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ज्युडिशियल ऑफिसर्स के विवेक पर भरोसा करना चाहिए, वे पूर्णतया परिचित हैं, सुप्रीम कोर्ट किन-किन दस्तावेजों को नागरिक के प्रमाण के रूप में स्वीकार करे या न करे।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग अगर "प्रमाणिकता" (वैरिफिकेशन) आदि की प्रक्रिया की ट्रेनिंग नहीं देगा, तो कौन देगा?

मालपुराः साम्प्रदायिक दंगे के दोहरे हत्याकांड के 14 आरोपी दोष मुक्त

जयपुर, 27 फरवरी। शहर की साम्प्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने 25 साल पहले 10 जुलाई, 2000 को टोंक के मालपुरा थाना क्षेत्र में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े बच्चों के दोहरा हत्याकांड प्रकरण में 14 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने अपने आदेश में माना कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य अपूर्ण और संदेहास्पद हैं। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में मालपुरा निवासी राम प्रसाद, रतनलाल, रामस्वरूप, देवकरण, श्योजीराम, राम किशोर,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित करने में निष्फल रहा है।

अमेरिका के कृषि मंत्रालय ने काफी खतरनाक रिपोर्ट दी, पाकिस्तान की "फूड सिचुएशन" के बारे में

रिपोर्ट के अनुसार, अगर पाक-अफगान युद्ध जारी रहा तो पाकिस्तान में फूड, विशेषकर गेहूँ के लाले पड़ जाएंगे

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 फरवरी। पाकिस्तान ने "ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़" शुरू करके अफगानिस्तान के खिलाफ "खुली जंग" का ऐलान कर दिया है। इसी बीच अमेरिका के कृषि विभाग (यूएस डिपार्टमैंट ऑफ एग्रीकल्चर-यूएसडीए) की एक रिपोर्ट ने गंभीर चेतावनी दी है कि जारी युद्ध से पाकिस्तान में खाद्यान्न की भारी कमी हो सकती है, खासकर गेहूं उत्पादन में अनुमानित कमी के कारण। रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष पाकिस्तान में गेहूं उत्पादन पिछले साल की तुलना में लगभग 22 लाख टन कम रहने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध से गेहूं की कमी की स्थिति और गंभीर हो जाएगी।

पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद, जिनमें कथित तौर पर 130 तालिबान लड़ाके मारे गए, अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के गेहूं उत्पादन क्षेत्र में रहने वाले बलोच अलगाववादियों के समर्थन से, जवाबी हमला किया। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर गेहूं की कमी हो सकती है, क्योंकि संघर्ष का केन्द्र वही गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, जो बलोच नियंत्रण में बताया जाता है।

पाकिस्तान में इस साल गेहूं उत्पादन यूँ भी कई कारणों से कम रहने का अनुमान है। इनमें लंबे समय से चला आ रहा सूखा और सरकार द्वारा 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने में देरी शामिल है, जिसके कारण किसान दूसरी फसलों की ओर जा रहे हैं। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले ने भी इस संकट को बढ़ा दिया है। नई दिल्ली ने साझा नदियों के जल स्तर का डेटा साझा करने का तरीका बंद कर दिया है, जिससे, पाकिस्तान की अपने बांधों का प्रबंधन करने की क्षमता प्रभावित हुई है, क्योंकि देश की जल भंडारण क्षमता पहले से ही कम है।

इस बीच, टकराव की स्थिति में कोई कमी नहीं दिख रही है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ाई ने कहा है कि "अफगान अपने प्रिय देश की रक्षा एकता और साहस के साथ करेंगे।"

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार ने कहा है कि 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए हैं। वहीं इसी बीच, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 2611 किलोमीटर लंबी डूरंड रेखा पर जवाबी कार्रवाई में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पहले तो पाकिस्तान में काफी लम्बा सूखे का दौर चला और फिर सरकार ने गेहूँ की "सपोर्ट प्राइज़" (समर्थन मूल्य) घोषित करने में काफी विलम्ब किया। अतः किसानों ने अन्य फसलें बो दीं, विकल्प के रूप में।
- अतः, पाकिस्तान में गेहूँ का उत्पादन इस वर्ष, गत वर्ष की तुलना में, 22 लाख टन कम होने की आशंका है।
- युद्ध के बाद, बलूच अलगाववादियों व अफगानी तालिबानी योद्धाओं ने हाथ मिला लिया है, तथा पाकिस्तान की "व्हीट बैल्ट", पख्तूनरववा क्षेत्र, जो बलूचियों के कब्जे में है, में गेहूँ का उत्पादन काफी प्रभावित हुआ है और पाकिस्तान को गेहूँ की भारी "शॉर्टेज़" का सामना करना पड़ेगा।
- साथ ही भारत द्वारा "इंडस वॉटर ट्रीटी" को अस्वीकार करने के बाद, नदियों के जल स्तर की जानकारियाँ साझा करने की परम्परा खत्म हो गई है। अतः, पाकिस्तान अपने बाँधों का जल स्तर ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है और इससे भी गेहूँ के उत्पादन को काफी नुकसान हुआ है।

ममेरे भाई की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

जयपुर, 27 फरवरी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 महानगर प्रथम ने तीन साल पहले शहर के निर्माण नगर इलाके में सिर पर गोली मारकर ममेरे भाई की हत्या करने वाले अभियुक्त विकास शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर नौ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को सजा से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- तीन साल पहले निर्माण नगर में अभियुक्त के घर पर उसके ममेरे भाई की गोली लगने से मौत हुई थी।